विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 282 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** **28 जून 2013 से 12 जुलाई 2013**

संसद के जरिए ही मिले खाद्य सुरक्षा

• भंवर मेघवंशी •

सहयोगी दलों के विरोध के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल को खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश लाने के अपने विचार को फिलहाल टालना पड़ा है। हालांकि, सरकार के जिम्मेदार लोगों ने संकेत दिए हैं कि अभी सरकार ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वह समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे सहयोगी दलों और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश जारी रखेगी। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इसके लिए अध्यादेश लाने का विकल्प अभी खुला रखा गया है। देश के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा मिले और वे कुपोषण और भुखमरी से बच सकें, इस बात से भला किसको ऐतराज होना चाहिए? वैसे, सभी दल ऊपर से यही कहते हैं कि वे चाहते हैं कि सबको राशन मिले, लेकिन अंदरखाने हरेक दल की अपनी राजनीति और रणनीति है और कई बार चाहकर भी अपने इस चेहरे को वे छिपा नहीं पाते।

हर कोई जानता है कि केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले ही खाद्य सुरक्षा विधेयक का प्रारूप संसद में पेश करने के लिए तैयार कर लिया था लेकिन मुख्य विपक्षी दल भाजपा के अडियल रुख के कारण संसद का सत्र ही नहीं चल सका और अंततः यह विधेयक संसद के पटल पर नहीं रखे जाने के कारण अधर में लटका रह गया। अब सरकार अध्यादेश के जरिए इसे लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसका विरोध शुरू हो गया है, और सरकार को इसे भी टालना पड़ा है। अगर विपक्ष संसद नहीं चलने दे और सत्तापक्ष के सहयोगी दल अध्यादेश नहीं लागू करने दे, तब ऐसी परिस्थिति में देश के नागरिकों तक अनाज पहुंचना कैसे सुनिश्चित हो सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। वैसे हम यह भी जानते हैं कि जो मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वह तमाम जरूरतमंदों तक राशन पहुंचा पाने में सफल नहीं रही है। ऐसे में लोगों को भुखमरी, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए जो रास्ता बचता है, वह दरअसल, एक प्रभावी सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा विधेयक ही है। खाद्य सुरक्षा का कानून बने, यह बहुत जरूरी है। हालांकि, अभी जो प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उसके प्रारूप में बहुत सी कमियां हैं। इन्हें दूर किया जाना जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी बात है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी गरीब इससे छूट न जाए, हर जरूरतमंद और गरीब को रोटी नसीब हो, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही, मध्य वर्ग को भी खाद्य सुरक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब वह इसका हिस्सा बन जाता है, तब वह इस ढांचे को ठीक से चलाने लगता है।

जैसा कि छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, ओडीशा तथा तमिलनाडु के उदाहरण से हम सीख सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा कोई अवास्तविक परिकल्पना नहीं है, यह किया जा सकता है। जब छत्तीसगढ़ जैसा गरीब राज्य कर सकता है, तो भारत सरकार इसे क्यों नहीं कर सकती है? यह केवल अनाज की बात नहीं है, कुपोषण से निजात पाने की भी बात है। केवल पेट भरने का मामला नहीं है। महज भुखमरी पर रोकथाम नहीं, बल्कि कुपोषण और खाद्य असुरक्षा से बचाव भी इसका उद्देश्य है। इसलिए अनाज के साथ साथ तेल तथा दाल आदि दिए जाने की व्यवस्था भी इस कानून में हो सके, यह जरूरी है। सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज और धन नहीं होने के तर्क अमान्य किए जा सकते हैं। सबको राशन देने के लिए महज दो लाख करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है, जबकि सरकार कॉरपोरेट क्षेत्र को पांच लाख, 80 हजार करोड़ रुपए की कर रियायतें देती है। जब इतना धन अमीरों को राहत पहुंचाने के लिए दिया जा सकता है, तो गरीबों और जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है? यह हो सकता है, इसके लिए 'मनी' से अधिक 'मन' की जरूरत है तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। यह कहना कि इतना अनाज देश में उपलब्ध नहीं है, यह भी बेमतलब तर्क है। तमाम गोदाम अनाज से भर जाते हैं, उन्हें चूहे खाते हैं, पानी में अनाज भीगकर गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। ऐसे में, भूखों को अन्न नहीं देना और भूखे पेटों के बावजूद गोदामों का भरे रखना हद दर्जे की अन्यायकारी व्यवस्था है। यह किसी संगीन अपराध

जारी

इस अंक में...

- **संसद के जरिए ही मिले खाद्य सुरक्षा**
- **खुलते दरवाजेः बेटी का स्वागत**
- **यौन शुचिता की ठेकेदार सिर्फ महिलाएं क्यों?**
- **जोशी जी, आपका जहर ही तो पीते रहे हैं गहलोत**
- **कमाल खान, तुम्हें इस्लाम यही सिखाता है?**
- **जीवन रक्षक दवा की कमी के कारण सांप के काटे हजारों लोगों का जीवन संकट में**
- **मनरेगा में मिली न्यूनतम से कम पगार**

जैसा जुर्म है। वैसे अच्छा यही रहेगा कि सरकार एक प्रभावकारी सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा कानून लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। अध्यादेश के जरिए नहीं, बल्कि संसद का सामना करते हुए इस कानून को बनाना ही सबसे बेहतरीन तरीका है। वहां यह भी साफ हो जाएगा कि कौन से दल इसका विरोध करते हैं, उनके तर्क क्या हैं? ऐसे विधेयक का विरोध करने वालों के बारे में जानना भी देश की जनता के लिए जरूरी ही है। खाद्य सुरक्षा बिल अगर संसद में लाया जाता है, तो उसमें व्यापक सुधार की गुंजाइश भी है, साथ ही प्रारंभ से यह ध्यान रखना होगा कि इसके प्रभावी क्रियांवयन के लिए इसमें जवाबदेही, निगरानी तथा लोक शिकायत निवारण की समुचित व्यवस्था हो। लोगों को यह जानकारी हो कि उनके नाम पर कितना राशन आ रहा है? क्या क्या चीजें आ रही हैं? अगर वे इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जहां लोगों की शिकायतों की सुनवाई तथा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। खाद्य सुरक्षा अधिनियम केवल राशन वितरण करने वाली प्रणाली को मजबूत बनाने की कवायद मात्र नहीं होगी, यह देश के किसानों के अन्न उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाला औजार भी साबित होगा। इसके साथ ही यह लोकतंत्र के असली स्वामियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने में भी सहायक बनेगा।

अनाज के बदले नकद राशि बांटने की किसी भी नीति का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। न ही राशन की जन वितरण प्रणाली के निजीकरण व कंपनीकरण का समर्थन किया जा सकता है। जरूरी है कि लोगों की निगरानी में जन वितरण की व्यवस्था बैठे, ताकि देश के नागरिक, साधिकार अन्न सुरक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके संसद का विशेष सत्र बुलाकर खाद्य सुरक्षा कानून को अमली जामा पहनाया जाए। *(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और खबरकोश डॉट कॉम के संपादक हैं। लेख में दिए गए विचार उनके निजी हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 282 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 28 जून 2013 से 12 जुलाई 2013

खुलते दरवाजेः बेटी का स्वागत

• मूल लेखः डॉक्टर मीता सिंह व प्रहलाद सिंह शेखावत •

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 0–6 आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात 1000 बालकों पर 890 बालिकाएं ही था। वर्ष 2001 में यह आंकड़ा गिरकर राज्यभर में सबसे कम 850 ही रह गया किंतु वर्ष 2011 के जनगणना के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के 33 जिलों में श्रीगंगानगर ही एक मात्र ऐसा जिला है जहां चार अंकों की बढ़त हुई है। वर्ष 2011 में श्रीगंगानगर की बाल लिंग अनुपात दर 854 पाई गई है।

आरंभ में इस मुद्दे पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया किंतु इस जिले में किए गए सतत प्रयासों के कारण धीरे धीरे बेटियों के प्रति सकारात्मक माहौल बनता गया। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण रही जिन्होंने अपने इलाकों के क्लिनिक्स को चेतावनी पत्र भेजे। बहुत सी पंचायतों ने उन माता पिताओं को बधाई पत्र भेजे जिनके घरों में बेटियों का जन्म हुआ। उन माता पिता को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने एक या दो बेटियों के बाद नसबंदी करवा ली। बेटियों द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने को बढ़ावा दिया गया। बेटियों के जन्म पर थाली बजाकर खुशी मनाई गई। यह रिवाज अब तक वहां बेटों के जन्म तक ही सीमित था। जिले में कार्यरत स्वैच्छिक संस्था उरमूल ने ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को बेटियों के जन्म के प्रति संवेदनशील और सकारात्मक नजरिया अपनाने को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। गर्भ पूर्व लिंग चयन तथा गर्भ में लिंग जांच (पीसीपीएनडीटी) कानून की प्रभावी पालना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2007 में श्रीगंगानगर चेंबर ऑफ कामर्स (संस्था) ने कन्या लोहड़ी मनाने की शुरुआत की। लोहड़ी का त्योहार जो अब तक बेटों के जन्म पर ही मनाया जाता था उसे बेटी के जन्म पर खुशी मनाने का जरिया बनाना भी एक अच्छी शुरुआत रही। स्थानीय जनता ने इसे खुले दिल से स्वीकार भी किया। यह बेटियों के प्रति लोगों की बदलती मानसिकता का प्रतीक बन गया। मीडिया ने भी इस मुद्दे पर लगातार प्रचार प्रसार किया। सामुदायिक नेतृत्व ने अपने मंचों पर इस मुद्दे को उठाया। मंदिर और गुरुद्वारों ने जनता को बेटी के प्रति जागरूकता के लिए धर्म ग्रंथों में बेटियों के बारे में कही गई सकारात्मक बातों का उल्लेख किया। बेटियों से भेदभाव और गर्भ में लिंग चयन न करने की शपथ दिलवाई गई। श्रीगंगानगर मॉडल के उदाहरण ने यह दिखा दिया है कि सभी व्यक्तियों और समूहों में एक सहक्रिया ताकत उत्पन्न की जाए ताकि इस प्रयास का सम्मिलित शक्ति पहले से प्रचलित धारणा के शामिल प्रयास से ज्यादा हो। इस जिले में कुछ अफसर ऐसे थे जो व्यक्तिगत स्तर पर बेटी की समानता की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस मुद्दे पर मदद कर रहे थे। जिला कलक्टर व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विशेष रूप से मददगार थे इस कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नागरिक समाज के लोग एक मंच पर आकर प्रयास कर पाए।

> बाल लिंग अनुपात में मामूली बढ़त के इतिहास ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बेटियों को बचाने के लिए उठाए गए कदमों को एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया है। इस मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है।

स्थानीय समुदाय इस प्रयास को अपनी पहल मान रहा था। इस कारण भी यह प्रयास सफल हुआ व समूह की आंतरिक ऊर्जा से जारी रह पाया। श्रीगंगानगर मॉडल की अच्छी बात यह रही कि स्थानीय समुदाय ने इसे अपना लिया किंतु इस प्रयास में अब भी बाहरी प्रोत्साहन व सहयोग दिया जाना जरूरी है क्योंकि स्थिति अब भी काफी नाजुक है। इस विषय की लगातार निगरानी अत्यंत जरूरी है। अभी ये कहना मुश्किल है कि यह रणनीति पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुकी है। यह मॉडल राजस्थान के अन्य जिलों तथा अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है खासतौर पर पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में जहां गर्भ चयन व लिंग आधारित गर्भपात अत्यधिक प्रचलित हैं। यदि इस तरह से सघन, प्रतिबद्ध व बहुआयामी सतत प्रयास अन्य स्थानों पर भी दोहराए जाएं, वे स्थानीय समुदाय द्वारा स्वीकार कर लिए जाएं व दीर्घकाल तक लागू किए जा सकें तो समाज में गायब होती बेटियों की समस्या का समाधान होने की उम्मीद बनती है। *(डॉक्टर मीता सिंह बेटियों की गरिमा फाउंडेशन (डिगनिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं तथा प्रहलाद सिंह शेखावत ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर जयपुर के निदेशक हैं) (अनुवादः ममता जैतली)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 282 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 28 जून 2013 से 12 जुलाई 2013

यौन शुचिता की ठेकेदार सिर्फ महिलाएं क्यों?

• शालिनी कुमारी •

समाज के दोहरे मापदंड, रीति रिवाज और दकियानूसी विचारधारा का एक और दुष्परिणाम एक जिंदगी पर अकस्मात लगे पूर्णविराम के रूप में दिखा। वो भी कोई सामान्य जिंदगी नहीं, बल्कि सिने तारिका जिया खान की आत्महत्या के रूप में। एक तरफ हमारा देश निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर है। आजादी के बाद दशकों से हमारे चारों ओर निरंतर परिवर्तन, प्रगति और विकास होता दिख रहा है। परिवर्तन का ही असर है कि भारत आज दुनिया के देशों पर ताकतवर राष्ट्र के रूप में अच्छा दखल रखता है। दूसरी तरफ पश्चिमी सभ्यता में पली बढ़ी स्वच्छंद लड़की पर हमारा दकियानूसी भारतीय समाज ऐसा असर डालता है कि वह किसी की बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकाती है।

एक राष्ट्र का सबसे मूलभूत और अहम हिस्सा है वहां रहने वाले लोग, जिनमें आधी आबादी कही जाने वाली स्त्रियां भी शामिल हैं। इतिहास के महान कूटनीतिज्ञ माने जाने वाले चाणक्य का भी मानना था कि एक राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब वहां नारी जाति का सम्मान किया जाता हो। तभी सही मायनों में विकास होता है। जिया खान जैसी जिंदादिल, उत्साह से भरपूर और जिंदगी के एक एक पल को अपनी बिंदास अंदाज में अपने तरीके से बिना किसी से डरे जीने वाली पश्चिमी संस्कृति में पली बढ़ी युवती अगर इस कदर मजबूर हो कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है, तो आम भारतीय युवती की मानसिक हालत ऐसी स्थितियों से गुजरने पर क्या होगी। समझना शायद बहुत मुश्किल नहीं है। जिस मानसिक अवसाद से गुजरने के बाद जिया खान ने मजबूर होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया, हमारे देश की आम युवतियां इनसे आए दिन दो चार होती हैं। दिन–ब–दिन बदलते परिवेश में इस तरह की घटनाओं से आम लड़कियों को दोचार होना ही पड़ता है। यह भी एक बड़ा सच है कि बॉलीवुड की तड़क भड़क किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस चकाचौंध में एक मुकाम हासिल करने की चाहत में बॉलीवुड में महत्वाकांक्षी हसीनाओं की लंबी कतार लगी होती है। ये हसीनाएं फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में एक मुकाम हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती हैं। एक बड़ा सच यह भी है कि इन युवतियों की महत्वाकांक्षा का एक अभिन्न अंग उनका परिवार भी है, जो उन्हें संघर्ष की इस राह पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है।

मगर आम युवतियों की तरह उनके भी कुछ सपने होते हैं। एक भरे पूरे परिवार की जरूरत उन्हें भी महसूस होती है, एक जीवनसाथी की भी जो उनका हर कदम पर साथ दे, उनका संबल बने और ताउम्र उन्हें प्रेम करे। अपने लिए वो ठीक वैसे ही जीवन की कल्पना करती हैं जैसी रूपहले पर्दे पर वो दर्शकों को दिखाती हैं। जिया ने भी सिने अभिनेता आदित्य पंचोली के पुत्र सूरज पंचोली के साथ कुछ ऐसे ही ख्वाब देखे थे, जिसका खुलासा उसके पत्रों से होता है। फिल्मी दुनिया में बहुत सफलता हासिल न कर पाने से ज्यादा वो सूरज के धोखे से मानसिक अवसाद में थी। हमेशा से माना जाता है कि कलाकार बहुत भावुक होता है। शायद इसके पीछे कारण है कि पर्दे पर जीवंत चरित्र को वो हू–ब–हू अपने जीवन में भी उतारना चाहते हैं। रील और रीयल लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं कर पाते शायद ये लोग जब वो हकीकत की निर्मम दीवारों से टकराती हैं, तो उनके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसे ही चकनाचूर हुए जिया के सपने, जिनका कांच के टुकड़ों की तरह बिखरना जिया सह नहीं पाई। पश्चिमी सभ्यता में पली जिया भी इस तरह का कदम उठाती है, तो आम लड़की ऐसे हालतों में क्या करती होगी, समझना बहुत मुश्किल नहीं है। बदलते समाज में पश्चिमी सभ्यता के कई आयाम हमने अपना तो लिए, लेकिन अपनी दकियानूसी विचारधारा का त्याग नहीं कर पाए। अभी भी यहां स्त्री पुरुष को देखने का आइना अलग अलग है। सवाल है कि जब दोनों का एक जैसा परिवेश, जीविका के साधन और संघर्ष के रास्ते एक हैं तो फिर उन्हें मापने का पैमाने दो क्यों?

हमारे पुरुष प्रधान समाज में अगर मर्द अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाता है, तो उसे माफ कर दिया जाता है, मगर दूसरी तरफ कोई औरत अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ऐसा कुछ करती है, तो सिवाय जलालत के कुछ हासिल नहीं होता। उन्हें मर्यादा में रहने की नसीहतें दी जाती हैं। आखिर पुरुषों के लिए क्यों नहीं बनी है मर्यादा की ऐसी दहलीज जिसे पार करना उसके लिए भी वर्जित हो। इसका एक बड़ा कारण है औरतों पर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा को शह मिलना। औरतें खुद इस हिंसा को शह देती हैं, कभी लोकलाज, समाज और मर्यादा का भय उनके सामने आता है, तो कभी डर के मारे वो घरेलू हिंसा चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक या फिर किसी अन्य तरह की हिंसा के खिलाफ खड़ी नहीं हो पातीं। जिया ने भी एक हद तक हिंसा को शह दी। सूरज पंचोली ने स्वीकार किया है कि उसने जिया के साथ मारपीट

जारी

और उसका यौन शोषण किया था। यौन शोषण की पुष्टि अस्पताल से मिली उसके गर्भपात की रिपोर्ट भी करती है। गर्भपात और सूरज के धोखे से वो भारी अवसाद में थी। देखा जाए तो उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला सूरज ही था, आखिर उसी की वजह से तो उसने अपनी जान ली। आज इक्कसवीं सदी में भी महिलाएं अपनी यौन शुचिता यानी किसी के साथ शारीरिक संबंधों को बहुत महत्व देती है। जिस इंसान के साथ औरत देह स्तर पर जुड़ती है, उसके साथ पूरा जीवन जीना चाहती है। यौन शुचिता भंग होने का मतलब समाज में उसके चरित्र के गंदे होने यानी उसका अपवित्र होना मान लिया जाता है। खासकर भारतीय समाज में औरतों पर होने वाली हिंसा के जो मामले सामने आते भी हैं, उनकी संख्या नगण्य है। पारिवारिक और पति पत्नी के आपसी संबंधों की नाजुकता का ध्यान रखते हुए समाज में शर्मसार न होने के भय से हजारों लाखों स्त्रियां किसी भी तरह की हिंसा का विरोध नहीं करतीं। इसीलिए भारतीय संस्कृति, समाज और रुढ़िवादी विचारधारा के तले कई कलियां खिलने से पहले ही दम तोड़ देती हैं।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है मैरेटियल रेप का चूंकि शारीरिक संबंध परस्पर स्नेह और विश्वास के आधार पर बनते हैं, इसलिए इसमें व्यक्ति विशेष की निजी इच्छाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। मर्जी के बिना बनाया गया शारीरिक संबंध भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। चाहे वो पति द्वारा बनाया गया हो या फिर लिव इन पार्टनर द्वारा। ऐसे मामलों में शायद तभी कमी आएगी, जब इसे भी अपराध की श्रेणी में आए और ऐसे अपराधियों को सजा भी मिले। सामाजिक रूप से स्वतंत्र विचारधारा रखने वाली बॉलीवुड की एक नायिका जिया खान अगर ऐसे हालातों से गुजर सकती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे आसपास न जाने कितनी जिंदगियां ऐसी जलालतों में फंसकर खुद को खत्म करती होंगी। गौरतलब है कि जिया खान के प्रेमी सूरज पंचोली जो आदित्य पंचोली के बेटे हैं, अपने स्यूसाइड नोट में जिया ने उन पर रेप का आरोप भी लगाया है। इनके पत्र के मुताबिक तो जिया की मौत के लिए सूरज पंचोली ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उनसे हर तरह की हिंसा की ऐसे मामलों में कमी लाने के लिए जरूरत है एक ऐसे समाज के निर्माण की, जहां स्त्री पुरुष के भेद को मिटाकर मापदंड निर्धारित किए जाए। *(लेखिका पेशे से डॉक्टर हैं। लेख में दिए गए विचार उनके निजी हैं)* (साभारः जनज्वार डॉट कॉम) **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 282 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 28 जून 2013 से 12 जुलाई 2013

जोशी जी, आपका जहर ही तो पीते रहे हैं गहलोत

• तेजवानी गिरधर •

कांग्रेस के नए प्रभारी महासचिव गुरुदास कामत की नियुक्ति के बाद बुलाई गई प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक में हाल ही राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए डॉक्टर सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञान पिलाया। ज्ञान क्या समझो जहर का घूंट ही पिलाया। वे बोले कि हाईकमान को राजस्थान से बहुत उम्मीदें हैं, फिर से सत्ता प्राप्त करने के लिए आपको जहर पीना पड़ेगा, जैसे शिवजी ने पीया था। जोशी ने कहा कि बड़ा मन करके फैसले करने होंगे। आप राजस्थान के हर कार्यकर्ता की हैसियत जानते हैं। किस कार्यकर्ता को क्या दिया, उसके अब मायने नहीं रह गए हैं, उसका समय जा चुका है। समझा जा सकता है कि जोशी किस ओर इशारा कर रहे थे। असल में उन्हें दर्द इस बात का है कि उनके मन के मुताबिक नियुक्तियां नहीं की गईं। इस अर्थ में देखा जाए तो खुद जोशी ने ही शिवजी की तरह पूरे पांच साल जहर पिया और अब गहलोत को जहर पीने की सलाह दे रहे हैं। सच तो ये है कि पूरे पांच साल गहलोत ने भी कम जहर नहीं पिया है। जोशी का जहर। उन्होंने राजनीतिक नियुक्तियों सहित संगठन के मामलों में टांग अड़ाई।

राजनीति के जानकार अच्छी तरह से जानते हैं कि अकेले जोशी की वजह से ही राजनीतिक नियुक्तियों में बहुत विलंब हुआ। वे हर मामले में टांग अड़ाते ही रहे। हालत ये है कि आज भी बोर्ड, आयोग व निगमों में 17 अध्यक्ष सहित सदस्यों के पदों पर 150 से ज्यादा नियुक्तियां बाकी हैं। मोटे तौर पर युवा बोर्ड, पशुपालन बोर्ड, देवनारायण बोर्ड, माटी कला बोर्ड, मगरा विकास बोर्ड, मेवात विकास बोर्ड, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, लघु उद्योग विकास निगम, गौ सेवा आयोग, भूदान आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, एसटी आयोग में उपाध्यक्ष और निशक्तजन आयुक्त आदि के पद भरे जाने हैं। इसी प्रकार पांच नए बने नगर सुधार न्यासों में अध्यक्ष व न्यासियों की नियुक्तियां भी बाकी हैं, जो कि सीकर, बाड़मेर, पाली, चित्तौड़गढ़ और सवाईमाधोपुर में बनाई गई हैं। हालांकि मीडिया में चर्चा यही है कि गहलोत बहुत जल्द ही बाकी बची राजनीतिक नियुक्तियां करने जा रहे हैं, मगर सवाल ये उठता है कि क्या चुनावी साल के आखिरी दौर में ये नियुक्तियां की जाएंगी? यदि की भी गईं तो उससे नियुक्ति पाने वालों को क्या हासिल होगा? क्या चंद माह के लिए वे इस प्रकार नियुक्ति का इनाम लेने को तैयार होंगे भी? चार माह बाद चुनाव होंगे और उसमें सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, ये कैसे पक्के तौर पर माना जा सकता है? अगर भाजपा की सरकार आई तो वह उन्हें इन पदों से हटा देगी या फिर उन्हें खुद ही इस्तीफा देना पड़ जाएगा। खुद जोशी ने भी यही कहा कि अब समय जा चुका है। मगर साथ ही सच्चाई ये भी है कि यह समय उनकी वजह से ही चला गया।

जोशी के मन में गहलोत के प्रति कितना जहर भरा हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि वे बोले, मैं बैठक में आना नहीं चाहता था, क्योंकि अशोक जी के कुछ रिजर्वेशन हैं। कामत साहब ने आग्रह किया, जिसे टाल नहीं सका। वे बोले, मैं लीक से हट कर बोलना चाहता हूं। सवाल ये उठता है कि वे राजस्थान में मामले में कब लीक से हट कर नहीं बोले। जब भी बोले गहलोत को परेशान करने के लिए बोले। असल में जोशी को सबसे बड़ा दर्द ये है कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मगर रह गए। मात्र एक वोट से हार जाने के कारण। बाद में भी कोशिशें ये ही करते रहे, मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई। वे असंतुष्ट गतिविधियों को हवा देते रहे। कई बार असंतुष्ट दिल्ली दरबार में शिकायत करके आए। मगर गहलोत का बाल भी बांका नहीं हुआ। वजह साफ है कि गहलोत पर कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया का वरदहस्त रहा। जोशी ने राहुल को तो दिल जीत लिया, मगर गहलोत को नहीं हटवा पाए। यह दर्द भी उनके भाषण में उभर कर आया। बोले, अशोक जी आप सर्वमान्य नेता हो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का आप पर विश्वास रहा है और अब सोनिया गांधी का आप पर विश्वास है।

जोशी कितने कुंठित हैं, इसका अनुमान इसी बात से होता है कि वे फिर बोले, मैं फॉलोअर नहीं, कोलोब्रेटर हूं। मेरी जो हैसियत कांग्रेस ने बनाई है, जो विश्वास मुझ पर जताया है, उसके नाते मेरा फर्ज बनता है, मैं वो बातें कहूं, जो आज जरूरी हैं। सवाल ये उठता है कि उन्हें कौन कह रहा है कि वे गहलोत के फॉलोअर हैं, मगर बार बार यही बात दोहराते हैं। आज कांग्रेस महासचिव बनाए गए हैं तो उस पद के नाते नसीहत देने से नहीं चूक रहे। जोशी ने कॉलोबरेटर की बात फिर से कह कर यह भी जताने का प्रयास किया कि कांग्रेस की राजनीति में वे भी अब बड़ा कद रखते हैं। लब्बोलुआब, राजनीति के पंडितों का मानना है कि जोशी आने वाले दिनों में राहुल गांधी के मार्फत टिकट वितरण के मामले में भी टांग अड़ाने से बाज नहीं आएंगे। *(लेखक अजमेरनामा डॉट कॉम के संपादक हैं। लेख में दिए गए विचार उनके निजी हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 282 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 28 जून 2013 से 12 जुलाई 2013

कमाल खान, तुम्हें इस्लाम यही सिखाता है?

• भंवर मेघवंशी •

कमाल आर खान नामक एक अभिनेता ने 'रांझना' फिल्म की समीक्षा करते हुए फिल्म के हीरो धनुष (व्हाई दिस कोलावेरी डी फेम) पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "पता नहीं आप यूपी से है अथवा नहीं है, बट मैं यूपी से हूं। पूरे यूपी में जैसा धनुष है, वैसे आपको भंगी मिलेंगे, चमार मिलेंगे, बट एक भी इतना सड़ा हुआ पंडित आपको पूरे यूपी में कहीं नहीं मिलेगा।"

वाह कमाल रशीद खान उर्फ के आर के, क्या बात कही, क्या यही सिखाया इस्लाम ने तुम्हें ? दुनिया के एक ऐसे मजहब को मानने वाले हो तुम जिसने असमानता और जातिगत उत्पीड़न के शिकार लोगों को आसरा दिया, बराबरी दी, जहां मस्जिदों में किसी का प्रवेश वर्जित न था, जहां खुदा के सभी बंदे दौराने नमाज बिना किसी भेदभाव के एक ही सफ में खड़े होकर रब– उल– आलमीन की हम्द ओ शना करते रहे हो, उस दीन के अनुयायी हो कर जो अल्फाज तुम्हारी जबान से निकले उसने इस्लाम को ही कलंकित करने का काम किया है। यह हम करोड़ों करोड़ दलितों का तो अपमान है ही, तुम्हारे दीन और इमान की भी तौहीन है। कमाल खान तुम्हारी इस बदतमीजी का तो हम लोग इलाज करेंगे ही मगर तुम्हारे हम बिरादरों को भी अब सोचना होगा कि मजहबे इस्लाम की बुनियाद को हिला देने वाला कृत्य करने वाले इस आदमी के खिलाफ कितने इस्लाम के ठेकेदार उठ खड़े होते हैं। खैर यह दीनी लोगों का सरदर्द है, वो जाने और उनका अल्लाह, फिलहाल हम बात करेंगे कमाल खान की बदजबानी की।

कमाल खान की नजर में भंगी और चमार जैसी दलित जातियां सड़ी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कमाल खान से कि ये सड़ांध और गंध इस मुल्क में मचाई किसने ? भैया गंदे और सड़े हुए भंगी और चमार नहीं है, ये तो तुम जैसों की गंदगी ढोते ढोते ऐसे हो गए हैं। दरअसल गंदे और सड़े हुए तो तुम हो कमाल खान, तुम्हारे ख्यालात कितने बदबू मारने वाले है, तुम्हारी मानसिकता कितनी मैली है, तुम्हारे विचार कितने गंदे है। ऐसा लगता है कि तुम गंदगी का साक्षात् ढेर हो। तुम्हारी जैसी मानसिकता के लोगों ने इस देश में गुजिश्ता हजारों सैलून से ऐसी गंध मचा रखी है कि किसी भी मानवतावादी इंसान का दम घुटने लगता है। कमाल खान तेरी टिप्पणी केवल दलित समुदाय का ही अपमान नहीं है बल्कि यह हमारी बराबरी की सोच का भी अपमान है। यह हमारे महानतम संविधान के समानता के विचार की हत्या है। मैं बधाई देना चाहता हूं आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जिन्होंने सबसे पहले यह कहने की हिम्मत की कि कमाल आर खान की टिप्पणी सीधे सीधे जाति सूचक है। यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (10) के अंतर्गत अपराध है। ठाकुर ने लखनऊ के गौमती नगर थाने में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि वो स्वयं किसी दलित जाति के व्यक्ति नहीं है मगर एक बुद्धिजीवी और सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते कमाल खान के इस अत्यंत घृणित और बेतुकी टिप्पणी से अंतःस्थल तक आहत और अचंभित है। अमिताभ ठाकुर का स्पष्ट मानना है कि कमाल खान की टिप्पणी अनुसूचित जाति की दो उपजातियों के लोगों पर घृणित और ओछी टिप्पणी है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है।

मुझे भी यही लगता है कि ऐसी घटिया, गंदी और ओछी मानसिकता वाले इंसान को हमें करारा जवाब देना चाहिए। उसकी निंदा तो चारों ओर से हो ही रही है लेकिन दलित अत्याचार निवारक कानून के तहत उसे जेल भी भिजवाया जाना चाहिए। हम लोग राजस्थान में कई जगहों पर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। आप भी अपने अपने इलाके में कमाल खान के वक्तव्य का विरोध कीजिए। साथ ही मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राज्यों के अनुसूचित जाति आयोगों से भी विनती करता हूं कि वे इस शर्मनाक और अत्यंत अपमानजनक टिप्पणी पर ध्यान दें और आवश्यक कानूनी कार्यवाही को अंजाम दे। मेरा देश भर के दलित एवं मानवाधिकारवादी संगठनों संस्थाओं से भी आग्रह है कि वे भी दलित गरिमा और स्वाभिमान को अक्षुण बनाए रखने के इस अभियान का हिस्सा बने और कमाल खान जैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दें। *(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और खबरकोश डॉटकॉम के संपादक हैं। लेख में दिए गए विचार उनके निजी हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 282 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 28 जून 2013 से 12 जुलाई 2013

खबरें संक्षेप में

जीवन रक्षक दवा की कमी के कारण सांप के काटे हजारों लोगों का जीवन संकट में

• भारत डोगरा •

भारत में प्रति वर्ष लाखों लोग सर्पदंश द्वारा प्रभावित होते हैं या सांप द्वारा काटे जाते हैं। इनमें से अनेक सांप जहरीले नहीं होते हैं पर यदि जहरीला सांप काटे तो तुरंत इलाज की जरूरत होती है। यदि कुछ घंटों में अस्पताल पहुंचा कर एंटी स्नेक वैनम (एएसवी) दवा से इलाज करवा लिया जाए तो मरीज का जीवन बचने की पूरी संभावना होती है। पर हाल के वर्षों में यह असहनीय स्थिति बार बार देखी गई है कि अनेक अस्पतालों में यह जीवन रक्षक दवा उपलब्ध नहीं होती है और इस कारण सर्पदंश के शिकार हजारों लोगों का इलाज नहीं हो पाता है।

एक समय भारत में एएसवी के सस्ते उत्पादन में अच्छी प्रगति हो रही थी पर न जाने किन कारणों से सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहे उत्पादन में व्यवधान उत्पन्न किए गए। कुछ स्थानों पर इस जीवन रक्षक दवा का उत्पादन रुक गया। कुछ जानकार लोगों का मानना यह है कि यह इस दवा से मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए और इस दवा के सस्ते उत्पादन की व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए ताकि हमारे देश में एएसवी दवा की कोई कमी न रहे। विशेषकर वर्षा के दिनों में सरकारी अस्पतालों में यह दवा निशुल्क उपलब्ध हो यह व्यवस्था करना बहुत जरूरी है।

सर्पदंश के इलाज से जुड़े कुछ अंधविश्वासों को दूर करना भी जरूरी है। सर्पदंश के सही इलाज के लिए शीघ्र से शीघ्र अस्पताल ले जाना जरूरी है। घाव को धोने में, उस पर बर्फ रखने में, चीरा देने या जहर चूसने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसमें वक्त बर्बाद होता है व मरीज को और क्षति भी हो सकती है। बस इतना करना चाहिए कि मरीज को दिलासा देते रहें। उसे चलने फिरने न दें। सर्पदंश वाले स्थान को स्थिर रखें व हृदय के स्थान से नीचे रखें। मरीज लेटा रहे व लेटी हुई स्थिति में ही उसे अस्पताल ले जाएं। अगर जरूरी हो तो कृत्रिम सांस देना आरंभ करना चाहिए। काटे हुए छोर से अंगूठी, कंगन, जूते आदि उतार देने चाहिए। सर्पदंश के स्थान पर नाइट्रग्लाइसरीन मलहम का 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा लेप करने से जहर का फैलाव रोकने में मदद मिलती है। इस तरह कुछ सावधानियां अपनाने से व उचित समय पर अस्पताल पहुंचाकर एएसवी से इलाज करने से जहरीले सर्पदंश से प्रभावित हजारों लोगों का जीवन प्रतिवर्ष बचाया जा सकता है। दो मूल बातें यह हैं कि कोई समय बर्बाद किए बिना अस्पताल ले जाया जाए व अस्पताल में जीवन रक्षक दवा उपलब्ध हो। यह भी ध्यान रहे कि केवल अस्पताल में निर्धारित तौर तरीकों द्वारा ही यह दवा दी जाती है। *(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

मनरेगा में मिली न्यूनतम से कम पगार

• विविधा फीचर्स •

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में भले ही न्यूनतम मजदूरी 149 रुपए निर्धारित कर रखी हो, लेकिन राजस्थान में मनरेगा में मजदूरों को 12 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच ही मजदूरी मिल रही है। ग्रामीण विकास विभाग की सूचना के अनुसार यह जानकारी मिली है। सूचना के अनुसार राज्य में पिछले साल मनरेगा में औसत मजदूरी दर बढ़ी है, लेकिन यह अभी भी न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है।

ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीएस राजन ने न्यूनतम मजदूरी मिलने को गंभीर मानते हुए सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे मनरेगा मजदूरों को सामूहिक टास्क दें ताकि इसे पूरा किया जा सके। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 167 रुपए घोषित कर रखी है। इस लिहाज से मनरेगा मजदूरों को हर दिन 67 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मनरेगा में मजदूरों को टास्क के आधार पर मजदूरी दी जाती है। राज्य के अधिकांश इलाकों में मनरेगा मजदूरों को जानबूझकर ज्यादा नाप (टास्क) दी जाती है, ताकि वह पूरी नहीं हो। इसके बाद अधूरी टास्क के आधार पर मजदूरों को कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। यही कारण है कि प्रदेश के कई हिस्सों में मजदूरों को 12 व 20 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिली है। **(विविधा फीचर्स)**